न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 806/2016

शंकर लाल आयु 95 वर्ष पुत्र मंगलाराम, जाति यादव, निवासी ग्राम देवालिया तहसील फूलेरा, उप तहसील किशनगढ, जिला जयपुर। **–प्रतिवादी/अपीलान्ट–**

बनाम

1. सूरजमल
2. छोटू – पुत्रान ईसरा
3. मोहन
4. जगदीश
5. शंकरलाल – पुत्रान रामचन्द्र
6. पतासी देवी पत्नी जगदीश प्रसाद
7. इन्द्रा देवी पत्नी शंकरलाल
8. धापा देवी पत्नी सूरजमल
9. सरजू देवी पत्नी छोटू

समस्त जाति यादव, निवासी ग्राम देवलिया, तहसील फूलेरा, उप तहसील किशनगढ, रेनवाल, जिला जयपुर।

– –रेस्पोडेंट्स–

10. गणेश
11. लक्ष्मण – पुत्रान चूना
12. रूघनाथ
13. रामनिवास
14. रामकिशोर – पुत्रान रामेश्वर
15. कानाराम
16. भगवानसहाय – पुत्रान रामसुख
17. राधेश्याम
18. ओंकारमल
19. नानूराम – पुत्रान रामचन्द्र समस्त जाति यादव निवासी ग्राम देवलिया तहसील फूलेरा,
20. भोलाराम – उप तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर।
21. बाबूलाल
22. तहसीलदार तहसील फूलेरा मु0 सांभरलेक
23. नायब तहसीलदार उप तहसील किशनगढ रेनवाल

–रेस्पोडेंट्स/प्रतिवादीगण–

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री श्यामसुन्दर खण्डेलवाल, अपीलांट की ओर से।

2– श्री राजकुमार यादव, रेस्पोडेंट्स की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :–13–12–2017

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलक्टर सांभरलेक दिनांक 19–05–2016 प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट/वादीगण ने अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 व रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा मुतालिक खसरा नम्बर 1/2 रकबा 21 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम देवलिया तहसील फुलेरा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त वाद दिनांक 27–3–2012 को अदम हाजिरी, अदम पैरवी में खारिज किया गया जिसे दिनांक 20–04–2012 को रेस्टोर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। अपीलान्ट द्वारा जवाब दावा पेश किया गया। दिनांक 19–5–2016 को पत्रावली लोक अदालत कैंप कोर्ट हरसौली में नियत कर उक्त दिवस को ही अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलान्ट को स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द कर दिया गया। जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्य एवं कानून के विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। प्रकरण में दिनांक 19–7–2016 तारीख पेशी नियत थी जिसे दिनांक 19–5–2016 को बगैर सूचना दिये कैम्प में रखा जाकर निर्णित कर दिया गया। पत्रावली साक्ष्य में नियत थी तथा मृतक प्रतिवादी संख्या 6 रामेश्वर के वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने के लिए कायम मुकाम की कार्यवाही होना शेष थी जो न की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक व्यक्ति के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। अपीलाधीन निर्णय में न्यायालय द्वारा तहरीर किया गया है कि दोनों पक्षकारान सह–खातेदार है जबकि वादीगण व प्रतिवादीगण पडौसी काश्तकार है न कि सह–खातेदार। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में सुनवाई की प्रक्रिया पूर्ण किये बगैर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया हैं जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत है तथा निरस्त योग्य है। अपीलान्ट द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम भी प्रस्तुत किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने का अनुतोष चाहा गया है।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट् को जरिये नोटिस तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त की गई। प्रकरण में सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर सुना गया तथा दिनांक 14–6–2017 को निर्णय पारित कर अपील अन्दर मियाद शुमार की गई। उभय पक्ष को गुणावगुण पर सुना गया।

5– अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि प्रकरण में दिनांक 11–6–2014 को अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए थे तथा अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया था। प्रतिवादी संख्या 6 रामेश्वर की मृत्यु हो जाने की सूचना अधीनस्थ न्यायालय को थी परन्तु मृतक के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मृत व्यक्ति के विरूद्ध जारी कर दी गई। पत्रावली को लोक अदालत कैम्प कोर्ट में रखा जाने बाबत् कोई नोटिस अपीलान्ट को नहीं दिये गये तथा बिना सुने ही अपीलाधीन निर्णय

पारित कर दिया गया हैं जो कि विधि विरूद्ध है। अपीलान्ट द्वारा न्यायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1999 पृष्ठ 221 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

6– अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स द्वारा अपीलान्ट की बहस का जवाब देते हुए कथन किया गया कि उनके विरूद्ध रास्ता कायम नहीं करने के लिए निषेधाज्ञा चाही गई है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। वादग्रस्त भूमि विभाजित है तथा खसरा नम्बर 1/1 अपीलान्ट का व खसरा नम्बर 1/2 रेस्पोडेंट्स का है। अपीलाधीन निर्णय में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है इसलिए अपील खारिज फरमायी जावे।

7– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमें उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण रेस्पोडेंट का वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया था। वाद में यह अनुतोष चाहा गया था कि वादग्रस्त भूमि में से वादीगण के बिना सहमति के कोई रास्ता कायम नहीं करने व राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस आदि में तरमीम नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 अपीलान्ट द्वारा दिनांक 14–8–2014 को जवाब दावा प्रस्तुत किया गया था। उसके पश्चात् प्रकरण में दिनांक 12–05–2016 तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई तथा दिनांक 12–05–2016 को आगामी पेशी 19–07–2016 नियत की गई थी। उसके पश्चात् पत्रावली को दिनांक 19–05–2016 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट हरसौली में पेशी में ली गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उक्त कैम्प कोर्ट में पत्रावली रखे जाने बाबत् कोई नोटिस जारी किये गये हो ऐसे साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इससे अपीलान्ट का यह कथन सही प्रतीत होती है कि नियत पेशी दिनांक 19–7–2016 से पूर्व पत्रावली को दिनांक 19–5–2016 में रखे जाने बाबत् उन्हें कोई सूचना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं दी गई है। प्रकरण में प्रतिवादी अपीलान्ट द्वारा वादीगण के वाद को अस्वीकार करते हुए जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कोई तनकी कायम नहीं की गई है तथा न ही साक्ष्य सबूत लिये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित किया गया है कि " प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 व 7 लगायत 14 के बावजूद सूचना का अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में ली गई। कैम्प कोर्ट हरसौली में पत्रावली पेश हुई। वादीगण के वकील ने वादीगण का वाद डिक्री करने का निवेदन किया जिस पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व लोक अदालत कैम्प हरसौली में मजमेआम में वादीगण का वाद डिक्री किया जाना न्यायाचित समझता हूँ।" अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त विवेचन पश्चात वादीगण का वाद डिक्री कर दिया गया। उपरोक्त विवेचन के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट होता है कि उक्त निर्णय किसी भी प्रकार से एक स्पीकिंग ऑर्डर की श्रेणी में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर तथा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया की पालना नहीं करते हुए बिना किसी विवेकपूर्ण विवेचन के अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट

को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है तथा विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए तथा बिना कोई तनकियात का निर्माण किये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो कि बहाल रखे जाने योग्य नहीं है।अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक, न्याय व तथ्यों संबंधी सारभूत त्रुटि कारित की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य पाई जाती है।

8– अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रक्रिया का पालन किया जाकर तथा उभय पक्ष को सुना जाकर गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9– निर्णय आज दिनांक 13–12–2017 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर